

O/o C. R. Section (RTH)
 Dairy No. 2427/17/2017
 Date 17/8/2017

सेवा में
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
 भारत सरकार
 नई दिल्ली - 110001

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु।

महाशय

निवेदनपूर्वक कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अधिसूचना जो 23.09.2016 को प्रकाशित हुआ है उसके प्रकाशन के पूर्व व पश्चात राजसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित आदेश/निर्देश व अन्य कागजात की अभिप्रमाणित प्रति, टिप्पणी, निष्कर्ष व संपूर्ण संचिका की संचिकास्थिति को दर्शानेवाले कागजातों की प्रति सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उचित कारवाई करते हुए वांछित सूचना से संबंधित कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

नोट- प्रत्युत्तर में प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पता उल्लेख अवश्य करेंगे।

संलग्न- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अधिसूचना जो 23.09.2016 को प्रकाशित हुआ है कि छयाप्रति।
 भारतीय पोस्टल ऑर्डर न० 41 एफ 656113

दिनांक-10.08.2017
 भारतीय

भवदीय

(निखिल कुमार सिंह)

पुष्पा पैलेश, बी'एरिया
 मीठापुर, पटना-800001
 9430676644



MVL

Scanned by
 US/MR/Dr. Shankar

17/08
 0/R11



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938

No. 667]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ASVINA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 905(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620 (अ), तारीख 23 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनमें द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 जून, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (14वां संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 125 ग में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नियम

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

भारत के डाक विभाग द्वारा जारी किया गया यह रुपये का डील है। इस रुपये

अपारण्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO _____ को

इस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT _____

के हाकपर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE



सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपये 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिखें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HEREIN.

N.K. Singh
Meethu
Pata



डाक स्टंप
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

41F 656113

पुस्तक कृपा

5A 0000000

11/1/13

पूरी रकम वसूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता- जारी करने के माह के अंतिम दिन से 24 माहिनो और वित्तिय कमिशन के मुग्तान जारी करने के माहिनो की अंतिम दिन से 36 माहिनो।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र मु. है. / S.P.P.HYD